

08/01/19 व.फ. उप। साक्ष्य केवल अदापणी
वास्ते व्यापकित में अन्तिम समय दिया
जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य एवं कोष
अदापणी पेश करने दिनांक 0.10.19 को पेश
है।
Dey

0.10.19 व.फ. उप। साक्ष्य वास्ते समय-चाह पत्रावली
वास्ते साक्ष्य एवं कोष अदापणी हेतु अन्तिम
समय दिया जाता है। अगामी दिनांक 20/11/19 साक्ष्य
पेश नहीं करने पर पत्रावली बन्ना स्वतः ही
खासियत मानी जावेगी।
Dey

20/11/19 व.फ. उप। साक्ष्य हेतु उन; समय-चाह गया।
प्रकरण में साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं।
प्रकरण में कोर्ट पर भी अवसर दिया जा चुका है।
पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी बनील
शर्मा साक्ष्य जर्नी रूप में असफल रहे हैं। ऐसी
स्थिति में पत्रावली को साक्ष्य के अभाव में
खारिज की जाती है। पत्रावली फॉर्मल सुनार टोकर
दर्ज नम्बर से क्रम से तथा दाखिल करार है।
Dey

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चोंम (जयपुर)

